

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री आदर्श शास्त्री

दिनांक : 27.02.19


विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 123

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों के नियामक संस्था कौन है तथा इसके नियमन संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है;	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्ट्रीट वैंडर्स अधिनियम 2014 के अनुसार साप्ताहिक बाजारों का संचालन टाउन वैंडिंग कमेटी के द्वारा किया जाना है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में टाउन वैंडिंग कमेटी का गठन किया जा चुका है। साप्ताहिक बाजार/ स्ट्रीट वैंडर्स से संबंधित स्कीम वर्तमान दिल्ली सरकार के समक्ष विचारधीन है।</p> <p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों की नियामक संस्था टाउन वैंडिंग कमेटी है। दक्षिणी नगर निगम में 09 टी.वी.सी. गठन हो चुका है।</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूर्वी दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों की नियामक संस्था पूर्वी दिल्ली नगर निगम है, एवं वर्तमान में टाउन वैंडिंग कमेटी का गठन किया जा चुका है, जोकि सभी पथकर विक्रेताओं का सर्वे करने के पश्चात सभी पथ विक्रेताओं के नियमन से संबंधित कार्य करेगी।</p>
ख	क्या यह सत्य है कि विभाग ने इन साप्ताहिक बाजारों के संदर्भ में निवासियों की राय का अध्ययन कराया है,	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम नहीं</p> <p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम नहीं</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूर्वी दिल्ली नगर निगम में टाउन वैंडिंग कमेटियों का गठन हो चुका है जिसमें सभी आर डब्ल्यू ए के सदस्यों को मैबर बनाया गया है उन सभी की राय लेकर ही बाजारों का संचालन किया जाएगा।</p>
ग	यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपरोक्तानुसार</p> <p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उपरोक्तानुसार</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त 'ख' अनुसार।</p>
घ	यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है;	<p>उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्ट्रीट वैंडर्स अधिनियम 2014 के अनुसार साप्ताहिक बाजारों का संचालन टाउन वैंडिंग कमेटी के द्वारा किया जाएगा।</p> <p>दक्षिणी दिल्ली नगर निगम साप्ताहिक बाजार से ही लग रहे है लेकिन अब टाउन वैंडिंग कमेटी में 02 सदस्य रेसीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन से भी नामांकित किए गए है। इस प्रकार R.W.A अपनी राय टी.वी.सी. के सामने रख सकेंगे।</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त 'ख' अनुसार।</p>


 Section Officer (Admin.)
 Urban Development Dep.
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Sectt., New Delhi

ड	द्वारका विधानसभा क्षेत्र के साप्ताहिक बाजारों का विवरण क्या है;	उत्तरी दिल्ली नगर निगम यह प्रश्न उत्तरी दिल्ली नगर निगम से संबंधित नहीं है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारका विधानसभा क्षेत्र में दो साप्ताहिक बाजार आते हैं— 1. मंगला पुरी-वार्ड न0-33(S) 2. नागर पार्क, सागर पुर- वार्ड न0-31(S)
च	क्या यह सत्य है कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साप्ताहिक बाजारों के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित निवासियों/आरडब्ल्यूए ने शिकायत दर्ज कराई है;	उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपरोक्तानुसार। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम साप्ताहिक बाजार से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर उनका शीघ्र निवारण किया जाता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त 'ख' अनुसार।
छ	यदि हाँ, तो उन शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;	उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपरोक्तानुसार। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम बिंदु 'च' के उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त 'ख' अनुसार।
ज	द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साप्ताहिक बाजारों के नियंत्रण, देख-रेख तथा नियमन हेतु उत्तरदायी संबंधित अधिकारियों का नाम, पदनाम, जिम्मेदारी तथा मोबाइल नंबर क्या है; और	उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपरोक्तानुसार। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साप्ताहिक बाजारों में देख-रेख हेतु लाइसेंस इंस्पेक्टर (LI) श्री चिरंजी लाल (9990275755) और रेंट कलेक्टर (RC) श्री संजीव (9250607492) क्षेत्र में कार्यरत है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त 'ख' अनुसार।
झ	क्या यह सत्य है कि इन साप्ताहिक बाजारों के दुष्प्रभावों तथा कुप्रभावों से संबंधित इन बाजारों के आसपास निवासियों अथवा आरडब्ल्यूए की सहमति अथवा राय को प्राथमिकता प्रदान देने पर सरकार विचार कर रही है?	उत्तरी दिल्ली नगर निगम इस विषय पर साप्ताहिक बाजारों से संबंधित स्ट्रीट वैंडर्स स्कीम दिल्ली सरकार के समक्ष विचाराधीन है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अब टाउन वैंडिंग कमेटी में 02 सदस्य Resident Welfare Association से भी नामांकित किए गए हैं इस प्रकार R.W.A अपनी राय टी.वी.सी. के सामने रख सकेंगे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम उपरोक्त 'ख' अनुसार।


 Section Officer (Admin.)
 Urban Development Deptt.
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Sectt., New Delhi